कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक स्थाई आदेश-सु-०५ /32–36 (आर्तक)लखनऊ:दिनांकः जून 19, 2015

स्थाई आदेश

वृक्षों के अवैध कटान की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्वि हो रही है, दिन–प्रतिदिन बडे पैमाने पर हो रहे अवैध पातन की शिकायतें शासन एवं इस कार्यालय को प्राप्त होती रहती हैं। अवैध पातन में संलिप्त वन अपराधियों को वन माफिया घोषित करने की कार्यवाही जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा की जाती हैं, परन्तु वन अपराध में संलिप्त वन अपराधियों का अपराधिक विवरण जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के पास नहीं होने के कारण वन अपराधियों को वन माफिया घोषित करने में कठिनाई होती है।

मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार शासनादेश संख्या–403/14–4–2014 दिनांक 24.02.2014 के द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ने वन्यजीव अपराध पर नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन करने के निर्देश दिये हैं। जिला स्तरीय समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदस्य, एवं प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य सचिव नामित हैं। इसी क्रम में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पत्रांक–10–27/डब्लूसीसीबी/ 2013/पीटी–1/1075 दिनांक 02.09.2013 द्वारा जारी एडवाइजरी के आधार पर इस कार्यालय के स्थायी आदेश सु–148/20–1(वन्यजीव अपराध) दिनांक 30.09.2013 द्वारा वन्यजीव अपराधियों का अपराधिक इतिहास पुलिस विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

वन्यजीव अपराध के साथ वन अपराध में संलिप्त अपराधियों को भी वन माफिया घोषित करने के लिये आपको यह निर्देश दिये जाते है कि जिला स्तर पर वन्यजीव अपराध के सम्बन्ध में होने वाली जिला स्तरीय समिति की बैठकों में वन्य जीव अपराधों के साथ–साथ वन अपराध के सम्बन्ध में भी अद्यावधिक सूचना सहित आवश्यक परिचर्चा करने का कष्ट करें, जिससे कि वन अपराध में लिप्त अपराधियों का भी उक्त समिति के द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा सके। इस प्रकार शातिर वन अपराधियों का अपराधिक इतिहास भी जिला एवं पुलिस प्रशासन के अभिलेखों में नियमित रूप से दर्ज हो सकेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लेने से शातिर वन अपराधियों को वन माफिया घोषित करने में वर्तमान मे आ रही कठिनाईयों का समाधान हो जायेगा।

अतः आपको यह निर्देश दिये जाते हैं कि वन्यजीव अपराधों में संलिप्त वन अपराधियों की भॉति वन अपराधों में संलिप्त वन अपराधियों का पूर्ण विवरण भी प्रत्येक माह जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को अवश्य उपलब्ध करायें, जिससे वन्यजीव अपराध तथा वन अपराध में संलिप्त अपराधियों को वन माफिया घोषित करने मे आने वाली कठिनाईयों से बचा जा सके। साथ ही 39 प्रपत्रों की सूचना में प्रपत्र संख्या–37 (संवेदनशील जनपदों में वन एवं वन्य जीव माफियाओं के विरूद्व कार्यवाहियों का विवरण) में अभ्युक्ति के कालम में उपरोक्तानुसार हुई बैठकों के सम्बन्ध में तिथि सहित संक्षिप्त रूप से विवरण देना भी सुनिश्चित करें।

19/6/15

(डा0 रूपक डे)
प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0,
लखनऊ।